कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10-1-18	पत्रावली पेश हुई वकीलान फरीकेन उपस्थित। बहस हेतु समय चाहते हैं अतः पत्रावली दिनांक 16-1-18 को पेश हो। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
16-1-18	पत्रावली पेश हुई वकीलान फरीकेन उपस्थित। बहस हेतु समय चाहते हैं अतः पत्रावली दिनांक 30-1-18 को पेश हो। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
30-1-18	पत्रावली पेश हुई वकीलान फरीकेन उपस्थित। बहस सुनी गई। बाद आदेश 26-2-18 को पेश हो। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
26-2-18	पत्रावली पेश हुई वकीलान फरीकेन उपस्थित। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आज्ञा में रोहित की वल्दियत रामेश्वर निरस्त की जाती है और प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित हेतु प्रेषित किया जाता है कि सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई साक्ष्य का समुचित मौका अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर न्यायसंगत निर्णय पारित करें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व अपील संख्या : 18/2017

1. श्रीमती छोटी देवी पत्नी स्व0 श्री कानाराम, जाति–अहीर, निवासी–ग्राम बाढबागपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. रोहित पुत्र श्री रामेश्वर दत्तक पुत्र स्व0 श्री कानाराम, जाति–अहीर, निवासी बाढबागपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्स,

बनाम

तहसीलदार, चाकसू, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, चाकसू दिनांक 04.08.2015 नामा0सं0 293 ग्राम बाढबागपुरा)

उपस्थितः–

1. श्री अरविन्द कुमार पारीक, अभिभाषक, अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।

निर्णय **दिनांक : 26.02.2018**

ग्राम बाढबागपुरा की आराजी के खातेदार काश्तकार छोटी पत्नी स्व0 कानाराम, रोहित पुत्र रामेश्वर ना0बा0 सं0 व पि0 रामेश्वर, जाति–अहीर, साकिन देह की बजाय मुताबिक आदेश कार्यालय तहसीलदार (भू0अ0) चाकसू के क्र0/भू0अ0/15/6188 दिनांक 17.07.2015 की पालना में रोहित नाबालिग से बालिग का नामान्तरकरण संख्या 293 भरकर पटवारी हल्का ने पेश किया हैं, जिसे तहसीलदार, चाकसू ने आज्ञा दिनांक 04.08.2015 द्वारा स्वीकार किया हैं, इस आज्ञा से व्यथित होकर यह अपील प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ हैं।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट् जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक श्री अरविन्द कुमार पारीक का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पारित की गई है। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व सुनवाई/साक्ष्य का नोटिस/समुचित अवसर नही

दिया गया। अपीलान्ट् रोहित के प्राकृतिक पिता रामेश्वर हैं परन्तु अपीलान्ट् को बाल्यकाल में ही कानाराम ने जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा गोद ले लिया था। अपीलान्ट् रोहित का लालन–पालन, पढाई–लिखाई सभी कानाराम और कानाराम की पत्नी छोटी ने किया हैं। अपीलान्ट् को गोद ले लेने से अब अपीलान्ट् की वल्दियत स्वतः ही रोहित दत्तक पुत्र कानाराम हो गई हैं। रोहित पुत्र रामेश्वर का वादग्रस्त आराजी से कोई सरोकार नहीं हैं। वास्तव में तो रोहित दत्तक पुत्र कानाराम हैं और राजस्व अभिलेख में भी यही इन्द्राज होना आवश्यक हैं। नामान्तरकरण संख्या 293 से पूर्व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 23 एवं कैम्प प्रभारी के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट से स्पष्ट हैं कि रोहित अपीलान्ट् सं0 2 का नाम राजस्व अभिलेख में पंजीकृत गोदनामें के आधार पर दर्ज किया गया हैं। इसलिए नामान्तरकरण सं0 293 में भी पंजीकृत गोदनामें के अनुसार अपीलान्ट् सं0 2 के पिता के नाम के आगे दत्तक पुत्र कानाराम दर्ज किया जाना विधि अनुकूल आवश्यक था। रोहित की वल्दियत रोहित दत्तक पुत्र कानाराम दर्ज किये जाने में अपीलान्ट् सं0 1 व 2 के मध्य कोई विवाद नही हैं। कानाराम व अपीलान्ट् सं0 1 का एकमात्र कानूनी वारिस अपीलान्ट् सं0 2 ही हैं। अतः अपील अपीलान्ट् स्वीकार फरमाई जावे तथा अपीलान्ट् सं0 2 की वल्दियत में रोहित दत्तक पुत्र स्व0 श्री कानाराम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन हैं कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान के अनुकूल पारित की गई हैं। यदि रजिस्टर्ड गोदनामा हैं तो दत्तक पुत्र कानाराम नियमानुसार दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं हैं।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध फोटोस्टेट प्रति नकल रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 06.09.1989 के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि कानाराम यादव पुत्र श्री रूधा यादव व छोटी देवी पत्नी श्री कानाराम ने रोहित पुत्र रामेश्वर प्रसाद यादव को गोद लिया हैं। इस गोदनामें के आधार पर पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण सं0 23 भरकर पेश किया हैं। नामान्तरकरण सं0 23 के जमाबन्दी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नई प्रविष्टि के भाग में कालम सं0 9 में रोहित पुत्र रामेश्वर नाबालिग सं0 प0 पिता रामेश्वर, जाति–यादव दर्ज किया गया हैं।

इसके पश्चात् रोहित के नाबालिग से बालिग होने का नामान्तरकरण सं0 293 भरकर पेश किया हैं जो रोहित पुत्र रामेश्वर, जाति–अहीर के नाम से स्वीकार किया गया हैं। जब रोहित को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामें से कानाराम ने गोद ले लिया और इस गोदनामे को चुनौती दी जाकर निरस्त नहीं कराया गया हैं तो रोहित की वल्दियत रामेश्वर अंकित किया जाना न्याय–संगत नहीं ठहराया जा सकता हैं। इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का बाढबागपुरा ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.07.2017 में रोहित पुत्र रामेश्वर की बजाय रोहित दत्तक पुत्र कानाराम दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया हैं जो पंजीकृत गोदनामे के अनुकुल हैं। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हैं कि रोहित को कानाराम ने रजिस्टर्ड गोदनामे द्वारा गोद पुत्र स्वीकार किया हैं और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अनुसार गोदनामा वर्तमान में प्रभावी हैं। ऐसी स्थिति में रोहित की वल्दियत रामेश्वर की बजाय रोहित दत्तक पुत्र स्व0 श्री कानाराम दर्ज किया जाना न्याय–संगत पाते हैं। अतः अपील–अपीलान्ट् स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आज्ञा में रोहित की वल्दियत रामेश्वर निरस्त की जाती हैं और प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ परीक्षण हेतु प्रेषित किया जाता हैं कि सम्बन्धित पक्षो को सुनवाई साक्ष्य का समुचित नोटिस/अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर न्याय–संगत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

26/2/18
(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर